उत्तराखण्ड शासन
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2013 ई0

पत्रांक 1/प्रशा0/6/2013–14/उविनिआ/1253–विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
2.	सदस्य (वित्त), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
3.	सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
6.	अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
7.	अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड़, देहरादून	सदस्य
8.	अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड़, काशीपुर	सदस्य
9.	श्री एस0पी0 कोचर, प्रेसीडेन्ट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, देहरादून	सदस्य
10.	निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून	सदस्य
11.	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड शासन, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी	सदस्य
12.	श्री महेन्द्र सिंह कुंवर, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर, 744, इन्दिरा नगर, फेज–2, पो0ओ0–न्यू फॉरेस्ट, देहरादून	सदस्य
13.	चीफ इलैक्ट्रिकल डिस्टीब्यूशन इंजीनियर उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस नई दिल्ली	सदस्य
14.	विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियंत्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्यो0 विश्वविद्यालय, पन्तनगर	सदस्य
15.	विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियंत्रण विभाग, आई0आई0टी0 रुड़की	सदस्य
16.	डा0 वी0के0 गर्ग, A-24/E, डीडीए फ्लैट्स, मुनरिका, नई दिल्ली	सदस्य
17.	श्री रणवीर सिंह, 6/3, तेग बहादुर रोड़, लेन नं0–4, देहरादून	सदस्य
18.	डा0 एस0के0 कुलश्रेष्ठ, द्वारा दून कन्ज्यूमर्स एवं प्रोटेक्शन सोसाईटी, 9 ओल्ड सर्वे रोड़, देहरादून	सदस्य

विद्युत अधिनियम की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है :

(i) major questions of policy;
(ii) matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
(iii) compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;
(iv) protection of consumers interest; and
(v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाए।

जगमोहन लाल,
अध्यक्ष।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 04–01–2014, भाग 1–क में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 ऊर्जा/95–15–01–2014–25 (कम्प्यूटर/रीजियो)।